फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible] बैंक

नाम न्यायालय

केस संख्या 150/18

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/7/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक [illegible] पेश हो। [illegible]
	21/9/21	[illegible] पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. [illegible] पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 1/12/21 को पेश हो।
	01/12/21	पत्रावली [illegible] को [illegible] 2021 [illegible] पत्रावली [illegible] 2021 [illegible] पेश हुई। [illegible] अनुपस्थित है। [illegible] पत्रावली [illegible] आदेशानुसार दिनांक 17:2:22 को पेश हो। पी. ओ. सा. का स्थानान्तरण हो चुका है व [illegible] पद रिक्त है। [illegible] सहायक [illegible]
	17/2/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान [illegible] है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली 11/4/22 पेश हो। Reg [illegible] से तलबी हो।
	11/4/22	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 27.5.22 को पेश हो।
	27/5/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/6/22 को पेश हो। पी. ओ. [illegible] का स्थानान्तरण हो चुका है।
	21/6/22	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. ~~दौरे पर पधारे हुए है।~~ [illegible] अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 29/7/22 को पेश हो।
	29/7/22	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 22/8/22 को पेश हो।
	22/8/22	पत्रावली पेश हुई। आज अधिवक्तागण द्वारा [illegible] कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 17/10/22 को पेश हो। पी.ओ. सा. [illegible] में पधारे हैं। [illegible]
	17/10/22	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय [illegible] दौरे पर पधारे हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/11/22 को पेश हो।

फर्द अहकाम

बनाम

...ालय

...या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	श्रीमान जिला कलक्टर महो. जयपुर के आदेशानुसार मूल पत्रावली मय मुसिल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को प्रेषित की / जाती है।	
28/11/22	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु समन तलबाना पेश होने पर जरिये Reg. A.D. जारी होकर दिनांक 8/2/23 को पेश हो। [signature]	
8/2/23	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी उप.। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु समन तलबाना पेश होने पर जरिए Reg. A.D. जारी होकर पत्रावली दिनांक 22/3/23 को पेश हो। [signature]	Noted for 22/3/23 [signature] Adv
22/3/23	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 29/3/23 को पेश हो। [signature]	
29/3/23	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादीया एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण तथा सरकार पैरोकार उपस्थित। सरकार पैरोकार द्वारा सूची के साथ दस्तावेज पेश किए तथा निवेदन किया कि वादीया द्वारा वाद पत्र में उल्लेखित खसरा नम्बरान अंशवादीया का नाम हजफ हो गया है। ~~वादीया~~ अब ~~उक्त~~ वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं रही। इसलिए वादीया प्रतिवादीगण से विभाजन का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं रहने से वाद पत्र चलने योग्य नहीं रहा। [signature] 29/3/2023	

फर्द अहकाम

बनाम

लय

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे
	इसलिए वादीया का वाद खारिज किया जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार ही सह खातेदार से तकासमा करवा सकता है। दौराने बहस अधिवक्ता वादीया द्वारा तर्क दिया गया कि यह बिन्दु इस स्तर पर निर्णित नहीं किया जा सकता यदि प्रतिवादी को इस बिन्दु पर कोई उज्र एतराज है तो इसका विवाद्यक बनाकर विनिश्चित किया जा सकता है। वादी की बहस का प्रत्युत्तर देते हुए पैरोकार सरकार द्वारा कहा गया कि यह ~~बिन्दु~~ तथ्य का प्रश्न नहीं है यह विधि का प्रश्न है इसलिए इसे इसी स्तर पर निर्णित किया जा सकता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। सरकार पैरोकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। दस्तावेजों के अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि वादीया का नाम खसरा नं. 221, 506, 571, 225, 222, 223, 224 की वर्तमान जमाबन्दी में वादीया का नाम दर्ज नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत केवल मात्र सह खातेदार द्वारा ही अन्य सह खातेदारों से तकासमा / विभाजन करवा सकता है तथा वादीया उपरोक्त खसरा नम्बरान में वर्तमान में खातेदार नहीं है। अत: वादीया का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 बाबत तकासमा राजस्व रिकार्ड में सह खातेदार नहीं होने के 23/3/2023	

फर्द अहकाम

बनाम

लय

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	वि
	कारण एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 23/3/2023	